

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबंधक निदेशालय  
उत्तराखण्ड देहरादून।


कृषि एवं विपणन अनुभाग (जलागम) देहरादून :दिनांक 7 फरवरी, 2015  
विषय उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत सामाजिक संचेतना एवं क्षमता विकास कार्य के लिये गढ़वाल क्षेत्र हेतु फील्ड एन0जी0ओ0 के चयन का अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 1120/3-32(FNGO गढ़वाल/2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 एवं पत्रसंख्या 1255/3-32(FNGO गढ़वाल/2013 दिनांक 3 नवम्बर, 2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि M/S Society of People for Development (SPD) B-4 Sector-2, Defence Colony, Dehradun को उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 में एफ0एन0जी0ओ0 गढ़वाल के उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु अनुमोदित करते हुये पाँच वर्षों की अवधि के लिये रु0 4,90,99,625.45 (रु0 चार करोड़ नब्बे लाख निम्नानवे हजार छः सौ पच्चीस पैन्तालीस पैसे मात्र) की कंसलटेन्सी अनुमोदन के प्रकरण पर विश्व बैंक की गाईड लाईन्स के अनुसार अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त एफ0एन0जी0ओ0 को देय कंसल्टेंसी शुल्क का भुगतान परियोजना कार्यों के सम्पादन में उनके द्वारा किए गये योगदान की पुष्टि के उपरान्त ही किया जाएगा तथा तदनुसार प्रमाण पत्र संबंधित प्रभागीय उप परियोजना निदेशक एवं क्षेत्रीय परियोजना निदेशक द्वारा निदेशालय व शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

3.. जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा एफ0एन0जी0ओ0 द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा कर विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित एफ0एन0जी0ओ0 द्वारा स्वीकृति का प्रयोजन पूर्ण किया जा रहा है।

भवदीय,  


(एस0 रामास्वामी)

प्रमुख सचिव